मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2014 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. पंचायती राज विभाग में अवमाननावाद के 13 मामले में कारणपृच्छा दायर नहीं हुआ है। वर्ष 2010 के मामले अभी तक Pending है। वर्ष 2013 के 5 (पाँच) मामले लंबित है। जिस पर मुख्य सचिव, बिहार द्वारा नाराजगी व्यक्तत करते हुए शीघ्र कारवाई करने का निदेश दिया गया।

3. पथ निर्माण विभाग में अवमाननावाद के 24 मामले एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 80 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा लंबित मामलों में शीघ्र कारवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

4. शिक्षा विभाग में अवमाननावाद के 328 मामले एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 3152 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव बिहार द्वारा लंबित मामलों में त्वरित कारवाई करने का निदेश दिया गया है।

5. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अवमाननावाद के 66 एवं सी0डब्लू0जे0सी0 641 मामले लंबित हैं। विभाग के सचिव द्वारा सभी लंबित मामलों में कारवाई होने की सूचना दी गई।

6. जल संसाधन विभाग में अवमाननावाद के 19 मामलें एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 209 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव बिहार द्वारा शीघ्र लंबित मामलों में Review करके संख्या में कमी लाने की आवश्यकता जताई गई।

7. स्वास्थ्य विभाग में अवमाननावाद के 134 मामले एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 1376 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निदेश सचिव, स्वास्थ्य विभाग को दिया गया।

8. पर्यावरण एवं वन विभाग में अवमाननावाद के 5 एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 145 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि अधिकतर मामले 2013 के हैं। अत: मामलों में निश्चित रूप से Counter Affidavit दायर कर मामलों की संख्या में कमी लाये।

9. नगर विकास एवं आवास विभाग में अवमाननावाद के 152 एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 883 मामले लंबित हैं। विभागीय स्तर पर समीक्षा कर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निदेश मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिया गया।

10. भवन निर्माण विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा यह उल्लेख किय गया कि सी0डब्लू0जे0सी0 के पिछले माह में 73 मामले थे इस माह में 10 मामले बढ़े हैं। अत: कुल 83 मामले लंबित हैं। लंबित मामलों के कारवाई हेतु तेजी लाने का निदेश मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिया गया।

11. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को विभागीय स्तर पर गठित शिकायत निवारण समिति की सूची एवं नोडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर विधि विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।

12. समीक्षात्मक बैठक में अवमाननावाद एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले में धीमी प्रगति को देखते हुए मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को व्यक्तिगत स्तर पर रूचि लेते हुए अवमाननावाद एवं सी0डब्लू0जे0सी0 मामले में कमी लाने का निदेश दिया गया।

13. अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामले को 4 सप्ताह के अन्दर शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगली बैठक में अवगत करायेंगे। समीक्षात्मक बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में निदेशित किया गया था लेकिन अधिकांश विभाग द्वारा बैठक के दिन या एक दिन पूर्व विधि विभाग को अधूरा प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित समय एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं मिलने पर मुख्य सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में बैठक के तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अत: अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक याचिका ए0 109/2013/.....5011.....जे0 पटना, दिनांक 10/7/14

प्रतिलिपि: सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक याचिका ए0 109/2013/.5011.....जे0 पटना, दिनांक- 10/7/14

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।